प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-209/2025 दिनांक 28.07.2025)
दिनांक-28.07.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अन्तर्राज्यीय तंबाकू/सिगरेट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, एक ट्रक कन्टेनर वाहन से अवैध रुप से तस्करी कर ले जायी जा रही 25 बण्डल प्लास्टिक के बोरे में नकली तंबाकू/सिगरेट तथा 04 बण्डल प्लास्टिक के बोरे में नकली मोबाइल डिस्प्ले ग्लास (वाहन सहित कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपये) के साथ 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ/द्रव्य के निष्कर्षण,परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27/28.07.2025 की रात्रि मे थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बांसी के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक कंटेनर (वाहन संख्या: HR 38 U 4464) से अवैध रुप से तस्करी कर ले जायी जा रही 25 बण्डल प्लास्टिक के बोरे में नकली तंबाकू (RICHMOND और Manchester ब्रांड की नकली सिगरेट) तथा 04 बण्डल प्लास्टिक के बोरे में नकली मोबाइल डिस्प्ले ग्लास के साथ कुल 03 नफर अभियुक्तों (1) राकेश पाण्डेय पुत्र मुख्तार पाण्डेय ग्राम महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जनपद चन्दौली (2) बबलू पाण्डेय पुत्र भीम पाण्डेय ग्राम अहिरौली थाना कुछिला जनपद कैमूर भभुआ राज्य बिहार (3) रौनक खान पुत्र सफीक खां ग्राम- रामगढ़वा थाना रामगढ़वा जनपद मोतीहारी राज्य बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामद सामान और वाहन की कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपये है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना को0 पडरौना पर मु0अ0सं0 422/2025 धारा 318(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हमलोग का एक संगठित गिरोह है। हम लोग ट्रक की बॉडी में बने गुप्त बॉक्स में प्लास्टिक की बोरियों में

Edit with WPS Office

नकली तंबाकू (सिगरेट) और नकली मोबाइल डिस्प्ले ग्लास छिपाकर बिहार ले जाते है। वहां अपने सहयोगी जितेंद्र यादव पुत्र बहादुर यादव निवासी ग्राम रामगढ़वा थाना रामगढ़वा जनपद मोतीहारी बिहार के साथ मिलकर उक्त नकली तंबाकू(सिगरेट) और मोबाइल डिस्प्ले ग्लास को बेचते है, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता था। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 422/2025 धारा 318(2)/318(4) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1- राकेश पाण्डेय पुत्र मुख्तार पाण्डेय ग्राम महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जनपद चन्दौली
2- बबलू पाण्डेय पुत्र भीम पाण्डेय ग्राम अहिरौली थाना कुछिला जनपद कैमूर भभुआ, बिहार
3- रौनक खान पुत्र सफीक खां ग्राम रामगढ़वा थाना रामगढ़वा जनपद मोतीहारी, बिहार

बरामदगी का विवरण-(कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपये)
1- कुल 25 बण्डल प्लास्टिक के बोरे नकली तम्बाकू (RICHMOND और Manchester ब्रांड की नकली सिगरेट) (कीमत लगभग 96 लाख रूपये)
2-04 बण्डल प्लास्टिक के बोरे में नकली मोबाइल डिस्प्ले ग्लास (कीमत लगभग 14 लाख 20 हजार)
3- अपराध में प्रयुक्त एक अदद ट्रक कन्टेनर HR 38 U 4464 (कीमत लगभग 15 लाख रूपये)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2.उ0नि0 नागेन्द्र चौहान चौकी प्रभारी बांसी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3.हे0का0 दीपू कुँवर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 चन्दन यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का0 राजेश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का0 सोमनाथ चौहान थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

हिन्दू युवती को भगाकर धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

Edit with WPS Office

दिनांक 26.07.2025 को थाना रामकोला पर पीडिता के पिता द्वारा सूचना दिया गया कि उनकी पुत्री को इसराफिल अंसारी पुत्र इद्रीश अंसारी निवासी रामपुर भाठ थाना रामकोला जनपद कुशीनगर नें धर्म परिवर्तन कराकर भगा ले गया है। सूचना पर थाना रामकोला पर मु0अ0सं0 324/2025 पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पीड़िता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को थाना रामकोला की पुलिस टीम द्वारा पीडिता की सकुशल बरामदगी करते हुए अभियुक्त इसराफिल अंसारी पुत्र इद्रीश अंसारी निवासी रामपुर भाठ थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछ-ताछ विवरण–
पूछ-ताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसराफिल, जो पहले से शादीशुदा है, ने पीडिता को प्रलोभन देते हुए अपने प्रेम जाल मे फसाकर शादी का झासा देकर लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा तथा उसे लेकर अपने साथ भागने के फिराक मे था। बिरोध करने पर उसके घर वालो को जान से मारने की धमकी देकर डरा धमका कर रखता था।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 324/2025 धारा 137(2)(B)/351(3)/127/318(4)/69/87 बीएनएस व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूध्द धर्म संपरिवर्तन अधिनियम थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
इसराफिल अंसारी पुत्र इद्रीश अंसारी निवासी रामपुर भाठ थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-
1- रुपान्तरित व मूल आधार कार्ड पीडिता
2- माल मुकदमाती 1430 रुपये
3- एक अदद मोबाइल फोन.
4- अभियुक्त का मूल आधार कार्ड

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1- अपराध निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव थाना रामकोला जनपद

Edit with WPS Office

कुशीनगर
2- उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3- म0उ0नि0 करिश्मा यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4-का0 जितेन्द्र यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5-म0का0 प्रियंका यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध एवं वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 13 वांछित/वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वांछित/वारण्टीगण-

थाना कसया- 08
थाना रामकोला- 02
थाना हाटा- 01
थाना पटहेरवा- 01
थाना हनुमानगंज- 01

सम्पूर्ण योग-* *13

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 45 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-57 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-54, व्यक्ति-153
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(17)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-62)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office